रजिस्टर्ड नं० एल० १८७

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 9 अप्रैल, 1973

चैत्र 19, 1895 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 1118/सत्रह-वि0—1—142-1972

लखनऊ, 9 अप्रैल, 1973

विज्ञप्ति

विविध

भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973 पर दिनांक 4 अप्रैल, 1973 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1973 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1973

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1973)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1, 1939 की धारा 7 का निकाला जाना।

2—संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 निकाल दी जाय।

धारा 10 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना ।

3—मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"10—(1) राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई अधिकारी—

(क) किसी ऐसे भवन, जलयान, गाड़ी अथवा स्थान में, जिसमें या जिस पर, उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई मोटर स्प्रिट या डीजल आयल बेचा जाता है अथवा बेचे जाने के लिए रखा जाता है, प्रवेश कर सकता है तथा उसकी तलाशी ले सकता है अथवा किसी व्यक्ति को, जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया है, तलाशी ले सकता है;

(ख) किसी मोटर स्प्रिट अथवा डीजल आयल और उसके आधान को, जिस के संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम की धारा 6 अथवा किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया गया है अभिगृहीत कर सकता है तथा हटा सकता है अथवा निरुद्ध कर सकता है;

(ग) किसी व्यक्ति को, जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया है, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है;

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई दण्डनीय अपराध करने का दोष लगाया गया हो अथवा जिसके संबंध में ऐसा अपराध करने का युक्तियुक्त संदेह हो, और जो पूछने पर अपना नाम बताने तथा निवास स्थान का पता देने से इन्कार करे या जो अपना ऐसा नाम या निवास स्थान बताये जिसके संबंध में ऐसे अधिकारी को उसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण हो, उसका नाम तथा निवास स्थान सुनिश्चित कर सकने के लिये बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन ली जाने वाली कोई तलाशी तथा खण्ड (ग) अथवा खण्ड (घ) के अधीन की जाने वाली कोई गिरफ्तारी, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 के क्रमशः तलाशी लेने तथा गिरफ्तार करने से संबंधित उपबन्धों के अनुसार की जायगी ।"

नयी धारा 10—क, 10—ख तथा 10—ग का बढ़ाया जाना ।

4—मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्:—

गिरफ्तार करने की प्रक्रिया

"10—क—इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये प्रत्येक व्यक्ति को अविलम्ब निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी अथवा धारा 10—ख के अधीन अधिकृत किसी आबकारी अधिकारी के पास ले जाया जायगा जो या तो उसे अधिकारितायुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने के लिये जमानत पर छोड़ देगा, अथवा जमानत के अभाव में उसे अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज देगा ।

अन्वेषण करने की शक्ति

10—ख (1) कोई पुलिस अधिकारी, जो किसी थाने के प्रभारी अधिकारी से नीचे के पद का न हो, अथवा कोई आबकारी अधिकारी, जो ऐसे पद से नीचे का न हो जैसा राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, अपनी अधिकारिता की सीमा के भीतर इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी दण्डनीय अपराध के संबंध में अन्वेषण कर सकता है ।

(2) कोई ऐसा अधिकारी उसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और उसी उपबन्ध के अधीन होगा जैसा कि थाने का प्रभारी अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अधीन किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण करते समय शक्ति का प्रयोग करता है और उसके उपबन्धों के अधीन होता है ।

स्पष्टीकरण:—पद "आबकारी अधिकारी" का वही अर्थ है जो उसके लिये यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, 1910 में दिया गया है ।

क्षोभकारी तलाशी, अभिग्रहण इत्यादि

10—ग (1) इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले आबकारी अथवा अन्य अधिकारी को, जो—

(क) संदेह होने के युक्तियुक्त कारणों के बिना किसी भवन, जलयान, गाड़ी अथवा स्थान की तलाशी लेता है अथवा तलाशी कराता है, अथवा

(ख) किसी व्यक्ति को क्षोभकारी ढंग से तथा अनावश्यक रूप से रोकता है, उसकी तलाशी लेता है अथवा गिरफ्तार करता है; अथवा

(ग) किसी ऐसी वस्तु को, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है, अभिगृहीत अथवा तलाश करने के बहाने किसी व्यक्ति को जंगम सम्पत्ति को क्षोभकारी ढंग से तथा अनावश्यक रूप से अभिगृहीत करता है; अथवा

(घ) ऐसे अधिकारी के रूप में कोई ऐसा अन्य कार्य जिससे किसी व्यक्ति को क्षति हो, बिना इस बात का विश्वास किये कि ऐसा कार्य उसके कर्त्तव्य के निष्पादन के लिये अपेक्षित है, करता है,

ऐसे प्रत्येक अपराध के लिये अर्थदण्ड दिया जायगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को जो जानबूझकर तथा विद्वेषतः असत्य सूचना देता है और इस प्रकार इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी अथवा अभिगृहण कराता है, अर्थदण्ड दिया जायगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है अथवा कारावास का दण्ड दिया जायगा जो दो वर्ष तक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जायेंगे।"

धारा 11 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

समपहरण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति

"11—इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध पर विचार करने वाला कोई न्यायालय किसी मोटर स्प्रिट अथवा डीजल आयल को, जिसके संबंध में न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, सरकार के पक्ष में समपहरण किये जाने का आदेश दे सकता है, तथा किसी वर्तन, बंडल अथवा आवरण को जिसमें वह रखा हो और उसे ले जाने में प्रयुक्त पशुओं, गाड़ियों, जलयानों अथवा अन्य वाहनों को समपहृत करने का भी आदेश दे सकता है।"

धारा 12 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

अपराध तथा शास्तियां

"12—जो कोई भी निम्नलिखित कोई अपराध करता है, अर्थात्:—

(क) धारा 6 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है ;

अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर के भुगतान में अपवंचन करता है;

अथवा

(ग) कोई ऐसी सूचना देने में चूक करता है जिसकी उससे इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षा की जाय, अथवा असत्य सूचना देता है (जब तक कि उसे सकारण विश्वास न हो कि उसके द्वारा प्रदत्त सूचना सत्य है, जिसे सिद्ध करने का भार उसी पर होगा) अथवा

(घ) खण्ड (क) तथा (ख) में उल्लिखित अपराधों में से कोई अपराध करने का प्रयास करता है, अथवा उन्हें करने के निमित्त दुष्प्रेरित करता है

तो उसे, प्रत्येक ऐसे अपराध के निमित्त ऐसी अवधि के लिये कारावास का दण्ड दिया जायगा जो छः माह तक हो सकता है, अथवा अर्थ-दण्ड दिया जायगा (जो दो हजार रुपये तक अथवा धारा 6 के उपबन्धों के उल्लंघन में ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई किसी बिक्री के संबंध में इस अधिनियम के अधीन देय कर की धनराशि की दुगुनी धनराशि अथवा जैसी भी दशा हो, अपवंचित कर की दुगुनी धनराशि जो भी अधिक हो, तक हो सकता है) अथवा दोनों दण्ड दिये जायेंगे।"

धारा 14 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 14 में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति से उक्त छः मास की अवधि समाप्त होने के पश्चात् मुकदमा संस्थित किया जा सकता है।"

नयी धारा 14-क तथा 14-ख का बढ़ाया जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्:—

आबकारी अधिकारियों को कतिपय शक्तियां प्रदान करना

"14-क—यदि राज्य सरकार किसी आबकारी अधिकारी को धारा 13 तथा धारा 14 के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के निमित्त अधिकृत करती है तो उन उपबन्धों में जिला मजिस्ट्रेट के अभिदेशों का यह अर्थ लगाया जायगा कि उसके अन्तर्गत ऐसे आबकारी अधिकारी का अभिदेश भी है।

पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् दण्ड में वृद्धि

14-ख—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये तत्पूर्व सिद्ध-दोष होने के पश्चात् पुनः, इस अधिनियम के अधीन कोई दण्डनीय अपराध करता है और सिद्ध-दोष होता है तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकती है किन्तु तीन मास से कम नहीं होगी और दो हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी दिया जायगा :

1898 का अधिनियम संख्या, 5

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसे अपराध पर, जिस पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय 22 के अधीन सरसरी तौर पर अन्यथा विचारण किया जाता, इस प्रकार विचारण करने से नहीं रोकेगी।"

धारा 17 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 17 में—

(1) उपधारा (3) निकाल दी जाय;

(2) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(5) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त जो एक सत्र में या आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकता है, रखे जायंगे और यदि उक्त अवधि के दौरान दोनों सदन नियम में कोई परिष्कार करने के लिये सहमत हों अथवा दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि उक्त नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो उक्त नियम, तत्पश्चात् यथास्थिति, केवल ऐसे परिष्कृत रूप में प्रभावी होगा, अथवा प्रभावहीन हो जायगा, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

No. 1118(2)/XVII-V—1-142-1972

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Spirit Tatha Diesel Oil Bikri Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 1973), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 4, 1973:

THE UTTAR PRADESH SALES OF MOTOR SPIRIT AND DIESEL OIL TAXATION (AMENDMENT) ACT, 1973

(U. P. Act No. 12 of 1973)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Sales of Motor Spirit and Diesel Oil Taxation Act, 1939

It is hereby enacted in the Twenty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit and Diesel Oil Taxation (Amendment) Act, 1973.

Omission of section 7 of U. P. Act 1 of 1939.

2. Section 7 of the United Provinces Sales of Motor Spirit and Diesel Oil Taxation Act, 1939, hereinafter referred to as the principal Act, shall be *omitted.*

Substitution of new section for section 10.

3. *For* section 10 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :—

"10. (1) Any officer empowered by the State Government in this behalf may—

(*a*) enter and search any building, vessel, vehicle or place in or at which, he has reason to believe, any motor spirit or diesel oil is sold or is kept for sale or search any person whom he has reason to believe to have committed an offence punishable under this Act ;

(*b*) seize and remove or detain any motor spirit or diesel oil and any container thereof in respect of which he has reason to believe that an offence punishable under section 6 or any other provision of this Act has been committed ;

(*c*) arrest without warrant any person whom he has reason to believe to have committed any offence punishable under this Act ;

(*d*) arrest without warrant any person accused or reasonably suspected of committing an offence punishable under this Act, who, on demand, refuses to give his name and residence, or who gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false, in order that his name and residence may be ascertained.

(2) Any search made under clause (*a*) and any arrest made under clause (*c*) or clause (*d*) of sub-section (1) shall be carried out in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898, relating respectively to searches and arrests made under that Code."

Insertion of new sections 10-A, 10-B and 10-C.

4. *After* section 10 of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely :—

Procedure for Arrest.

"10-A. Every person arrested under this Act shall be forwarded without delay to the officer incharge of the nearest police station or to an Excise Officer empowered under section 10-B, who shall either admit him to bail to appear before the Magistrate having jurisdiction, or in default of bail forward him in custody to such Magistrate.

Power of investigation.

10-B. (1) A police officer not below the rank of an officer in charge of a police station or an Excise Officer not below such rank as the State Government may by general or special order direct may investigate into any offence punishable under this Act committed within the limits of his jurisdiction.

(2) Any such officer may exercise the same power and shall be subject to the same provision as the officer in charge of a police station may exercise and is subject to under the Code of Criminal Procedure, 1898, when investigating a cognizable case.

Explanation—The expression 'Excise Officer' has the meaning assigned to it in the U. P. Excise Act, 1910.

Vexatious search, seizure, etc.

10-C. (1) Any excise or other officer exercising powers under this Act, who—

(*a*) without reasonable grounds of suspicion searches or causes to be searched any building, vessel, vehicle or place ; or

(*b*) vexatiously and unnecessarily detains, searches, or arrests any person ; or

(*c*) vexatiously and unnecessarily seizes the movable property of any person, on pretence of seizing or searching for any article in respect of which an offence has been committed under this Act ; or

(*d*) commits, as such officer, any other act to the injury of any person, without having to believe that such act is required for the execution of his duty,—

shall, for every such offence be punishable with fine which may extend to two thousand rupees.

(2) Any person wilfully and maliciously giving false information and so causing an arrest or search to be made under this Act shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees or with imprisonment for a term which may extend to two years or with both."

Substitution of new section for section 11.

5. *For* section 11 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

Power of Courts to order forfeiture.

"11. Any Court trying an offence under this Act may order the forfeiture to Government of any motor spirit or diesel oil in respect of which the Court is satisfied that an offence under this Act has been committed, and may also order the forfeiture of any receptacles, packages or coverings in which it is contained and the animals, vehicles, vessels, or other conveyances used in carrying it".

Substitution of new section for section 12.

6. *For* section 12 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"12. Whoever commits any of the following offences, namely :—

Offences and penalties.

(*a*) contravenes the provisions of section 6 ; or

(*b*) evades the payment of any tax payable under this Act ; or

(*c*) fails to supply any information which he is required by rules made under this Act, or (unless with the reasonable belief the burden of providing of which shall be upon him, that the information supplied by him is true) supplies false information ; or

(*d*) attempts to commit, or abets the commission of any of the offences mentioned in clauses (*a*) and (*b*),—

shall, for every such offence, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine (which may extend to two thousand rupees or to a sum double the amount of the tax payable under this Act in respect of any sales conducted by such person in contravention of the provisions of section 6, or as the case may be, double the amount of the tax evaded, whichever is greater) or with both."

Amendment of section 14.

7. In section 14 of the principal Act, the following proviso thereto shall be *inserted*, namely :—

"Provided that a case may be instituted after the expiry of the said period of six months with the special sanction of the State Government."

Insertion of new sections 14-A and 14-B.

8. *After* section 14 of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely :—

"14-A. Where the State Government empowers any Excise Officer to exercise powers under section 13 and clause (ii) of section 14, the references in those provisions to the District Magistrate shall be construed as including references to such Excise Officer.

Conferment of certain powers on Excise Officers.

14-B. If any person after having been previously convicted of an offence punishable under this Act, subsequently commits and is convicted of an offence punishable under this Act, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year but shall not be less than three months and with a fine of two thousand rupees :

Enhanced punishment after previous conviction.

Act no. 5 of 1898.

Provided that nothing in this section shall prevent any offence which might otherwise have been tried summarily under Chapter XXII of the Code of Criminal Procedure, 1898, from being so tried."

Amendment of section 17.

9. In section 17 of the principal Act,—

(i) sub-section (3) shall be *omitted* ;

(ii) *after* sub-section (4), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(5) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of State Legislature while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in the successive sessions and if, during the said period both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule."

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 15 गजट (हि0)—1973—2,019+100 (मे०)।